न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 13 / 2008

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 "मृतक"– भंवरलाल पुत्र गणपतराम जाति रैगर निवासी सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
1/1 मुकेश पुत्र भंवरलाल आयु 19 वर्ष ।
1/2 सुरेश पुत्र भंवरलाल आयु 17 वर्ष।
1/3 श्रीमती गोमती देवी पत्नी भंवरलाल आयु 50 वर्ष जाति समस्त रैगर निवासी सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
1/4 श्रीमती सुशीला पुत्री भंवरलाल पत्नी श्री बलदेव जाति रैगर निवासी तलवाड़ा जाट्टो का पठान कोट (पंजाब)।
1/5 श्रीमती सुमित्रा पुत्री भंवरलाल पत्नी श्री हरदेव जाति रैगर निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
1/6 श्रीमती बबीता पुत्री भंवरलाल पत्नी दिनेश जाति रैगर निवासी तलवाड़ा जट्टो का पठान कोट(पंजाब)।
2 बाबूलाल पुत्र गणपतराम।
3 पुरूषोतम पुत्र गणपतराम।
4 कृष्ण कुमार पुत्र गणपतराम जाति समस्त रैगर निवासी सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 पालीराम बृजलाल सीनीयर सैकण्डरी स्कूल सूरजगढ़ जरिये सचिव मैनेजिंग कमेटी श्री पालीराम बृजलाल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल सूरजगढ़ सेवाराम पुत्र डूंगरमल गुप्ता जाति महाजन निवासी सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 पूर्णमल पुत्र कानाराम।
3 नत्थूराम पुत्र कानाराम।
4 पूर्णी देवी पत्नी गणपतराम।
5 रतनलाल पुत्र गणपतराम।
6 द्रोपती पुत्री गणपतराम।
7 पुष्पा पुत्री गणपतराम जाति समस्त रैगर निवासीगण सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ0 धारा 225 राज.काश्तकारी अधि.
विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
दिनांक 13.09.2007 बमुकदमा उनवानी
पालीराम बृजलाल सीनियर सै. स्कूल सूरजगढ़
बनाम पूर्णमल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 286/2007

Lano

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थित

1. श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–11.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 286/2007 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट आवेदक ने भूमि खसरा नम्बर 1066 वाके ग्राम सूरजगढ़ के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 ने जवाब प्रस्तुत कर आवेदन के कथनों को अस्वीकार किया एवं प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदक का आवेदन स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1066 अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 के नाम है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट संख्या 1 ने धारा 212 के आवेदन की मद संख्या 6 में स्कुल का कब्जा 33 वर्षो से होना कथन किया है इस प्रकरण में धारा 42 का उल्लघन हुआ है अनुसुचित जाति की जमीन सर्वण के कैसे हुई इस पर विचारण न्यायालय ने विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है जो विधि विरूद्व है। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2016(2) हाई कोर्ट पेज 1056, आर.आर.टी. 2003(1) हाई कोर्ट पेज 671, आर.आर.टी. 2005(1) रेवेन्यू बोर्ड पेज 500, आर.आर.टी. 2005(2) रेवेन्यू बोर्ड पेज 961, आर.आर.टी. 2004(1) रेवेन्यू बोर्ड पेज 195, आर.आर.टी. 2003(1) रेवेन्यू बोर्ड पेज 724 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रिकार्डेड टेनेन्ट कोन होता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज होता है कानाराम ने अपनी भूमि 1962 में बेच दी थी कानाराम के विधिक उत्तारधिकारियों का कोई लेना देना नही है मै काबिज हू खातेदार हूं धारा 42 लागू होने से पूर्व विक्रय पत्र हो चुका था संवत 2032–33 की खसरा गिरदावरी पेश की है जिसमें जमीन पड़त है विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपूर्णिय क्षति के बिन्दु को विवेचित नही किया है धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण पर क्या प्रभाव है उसका भी कोई विवेचन नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राज.)

किया है। राजस्व रिकार्ड एवं मौका कमीश्नर रिपोर्ट का भी विचारण न्यायालय ने इस निर्णय में कोई विवेचन नही किया है। अपितु सरसरी तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी है। जिसे राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है यद्यपि धारा 212 के अन्तर्गत प्रकरण रिमाण्ड नही किये जाते है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य, मौका कमीश्नर रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर बिन्दुवार विवेचन कर गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर